श्रीमती भंवरी देवी बनाम गोपाल वगैरह , अपील संख्या 2018/00155, आदेश दिनांक 27.06.2018.

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र बाबत् अपील संधारण नही होने से खारिज किये जाने हेतु पेश हुयी। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित।

अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता (रेस्पोडेन्ट) ने बताया कि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय दिनांक 18.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.05.2017 में विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट के मध्य कब्जे एवं सीमाज्ञान का विवाद मानते हुए उभयपक्षों की उपस्थिति में नाप चोप कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश किये हैं,जो धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् पारित किये जाते हैं तथा उक्त प्रावधानों के तहत् पारित आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् संधारण योग्य नही होती हैं। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित पत्थरगढ़ी के आदेश के विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की हैं, जो संधारण योग्य नही हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अपील जो कि संधारण योग्य नही हैं को खारिज किया जावें।

अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के लिए पेश किया था। उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने तनकीयात कायम की जाकर उक्त दावें का निस्तारण किया हैं इसलिए उक्त निर्णय की अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् ही की जा सकती है। न्यायालय हाजा को धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् पारित निर्णय की अपील सुनने का पूर्ण क्षेत्राधिकार हैं। धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया जाता हैं। प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश न करके दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया हैं इस कारण से अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार की हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया

गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि –''वादी/प्रार्थी का वाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, किशनगढ़ को ग्राम मुण्डौती स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 322 रकबा 10–00–00 भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने हेतु कमिश्नर नियुक्त कर कर वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप–चौप कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है'' इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 111 व 128 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् ही पारित किये हैं एवम् धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर किसी प्रकार के आदेश नही दिये हैं। यद्वपि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत् बांधित राहत प्रदान करने हेतु निवेदन किया हैं परन्तु अपील मीमो के अवलोकन से यह जाहिर होता हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य सीमा सम्बन्धी विवाद है तथा इसी को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अन्तर्गत धारा 111 व 128 के तहत् ही आदेश पारित किया है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये पत्थरगढ़ी के आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इस प्रकार अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अपील संधारण नही होने से खारिज किये जाने का स्वीकार योग्य हैं।

अतः प्रार्थना पत्र बाबत् अपील संधारण नही होने से खारिज किये जाने का स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।